न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0 एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 पीलीभीत

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–300/2026

दीपक **बनाम** सरकार।

नियमित जमानत आदेश

दिनांक 07.03.2026

1. अभियुक्त दीपक की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष सत्र परीखण संख्या 1637/2025, अपराध संख्या 206/2025, अंतर्गत धारा 118(1), 115(2), 352 व 351(3) भा.द.सं. व धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना बिलसण्डा, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.09.2025 को समय करीब 10 बजे वह व उसकी पत्नी रामश्री अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी दीपक कुमार व उसका सगा भाई शोभित उसके खेत में लगे जामुन का पेड़ काटने के लिए हाथों में बंका लेकर आ गये और पेड़ काटने लगे। उसने व उसकी पत्नी ने पेड़ काटने से मना किया, तब उक्त लोग आग बबूला होते हुए जातिसूचक शब्द साले धुबट्टे व गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से उसे व उसकी पत्नी को बंके व साथ लाये फावड़े से कई प्रहार किये, जिसमें उसकी पत्नी के सिर पर गंभीर चोटे आयी और सिर फट गया, जिससे काफी खून बहना शुरू हो गया। उसने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, तब उसे भी उक्त लोगों ने मारापीटा, जिससे उनके भी शरीर में काफी गुम चोटे आयी है। आसपास के लोगों को आता देख व उसके शोर पर उक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। उसकी पत्नी के नौं टांके आये है।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है तथा वाद उपरोक्त में उसको झूठा फंसाया गया है। उसने उपरोक्त धाराओं का कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखायी गयी है। उसने वादी मुकदमा की पत्नी से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है। उसने वादी मुकदमा की पत्नी या किसी से भी गली गलौच नहीं किया है और न ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया है और न ही जान से मारने की धमकी दी है। उसका अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर छोड़ दिया जावे।

4. प्रस्तुत प्रकरण में एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के प्राविधानों के तहत वादी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादी मुकदमा को जारी नोटिस तामीला बजातखास तामील है। वादी मुकदमा जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

5. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी को धारदार हथियार से चोट पहुंचायी गयी एवं जातिसूचक गालियां एवं जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियोग अजमानतीय है। अतः अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

6. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.07 16:11:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार आज तक अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया था। अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के पिता मुन्ना लाल द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों के विरूद्ध मु.अ.सं. 209/2025 पंजीकृत कराया गया है, उक्त मुकदमा में समझौता का दबाव बनाने के उद्देश्य से वादी द्वारा यह मुकदमा लिखाया गया है। मजरूबों के एक्सरे रिपोर्ट में कोई बोन इंजरी होना रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दर्शित नहीं किया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार मजरूबों को आयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की दर्शित की गयी है। एस0सी0/एस0टी0 अपराध की धाराओं को छोड़कर शेष धाराएं मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध व साक्ष्य की प्रकृति, अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता तथा विहित कारावास की अवधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)8 SCC 273 एवं सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2022) 10 SCC 51** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र अनुज्ञाप्त किये जाने योग्य है।

8. अभियुक्त मु0–25,000/–रू0 का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू व निम्न शर्तों के सम्बंध में अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाता है :–

1– अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार से दबाब नहीं डालेगा और न ही उनको किसी प्रकार से डरायेगा व भयभीत करेगा।

3– अभियुक्त आरोप विरचन एवं बयान धारा 313 सी0आर0पी0सी0 अंकित किये जाते समय न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(राम किशोर IV)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2
जनपद, पीलीभीत।